

# 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण: भारत केंद्रित विश्लेषण

डॉ पिंगी सोमकुवंर

सहा. प्राध्यापक (समाजशास्त्र)

शासकीय आदर्श महाविद्यालय उमरिया (मप्र)

## सारांश

21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण एक वैश्विक मुद्दा बन गया है, जिसमें भारत भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। यह शोध पत्र भारत में महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और संभावनाओं का विश्लेषण करता है। इसमें शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक मानदंडों और कानूनी ढांचे जैसे विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। साथ ही, इस पत्र में भविष्य में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं।

## परिचय

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है। यह केवल महिलाओं के अधिकारों की बहाली ही नहीं, बल्कि समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। महिलाओं के सशक्तिकरण से समाज में समानता, समावेशिता और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलता है। जब महिलाएँ आत्मनिर्भर बनती हैं, तो वे अपने परिवारों, समुदायों और देश के आर्थिक विकास में योगदान कर देती हैं। भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है, फिर भी वे लैंगिक भेदभाव, हिंसा और संसाधनों तक असमान पहुँच जैसी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। 21वीं सदी में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई तकनीक, नीतियों और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है।

## शोध का उद्देश्य

इस शोध का मुख्य उद्देश्य भारत में महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना, इसके समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियों को उजागर करना और सशक्तिकरण की संभावनाओं को

रेखांकित करना है। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों और समाज सुधारकों को ऐसी रणनीतियाँ विकसित करने में सहायक होगा जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में सहायक हों।

### शोध पद्धति

यह शोध पत्र द्वितीयक डेटा पर आधारित है, जिसमें सरकारी रिपोर्ट (जैसे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, NFHS), शैक्षिक अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय संगठनों (यूएनवीमेन, विश्व बैंक) के प्रकाशन और समकालीन साहित्य शामिल हैं। भारतीय संदर्भ में ग्रामीण और शहरी महिलाओं की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण भी किया गया है।

### भारत में महिला सशक्तिकरण:

भारत अपने इतिहास और संस्कृति की वजह से पूरे विश्व में एक विशेष स्थान रखता है। हमारा यह देश सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य शक्ति आदि में विश्व के बेहतरीन देशों में शामिल है। जैसे तो आजादी के बाद देश की इन स्थितियों में सुधार की पहल हुई लेकिन हालिया समय में इस क्षेत्रों में पहल तेज हुई है। इसके लिए समाज के मानव संसाधन को लगातार बेहतर, मजबूत व सशक्त किया जा रहा है और समाज की आधी आबादी स्त्रियों की है, इस बाबत उनके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही-सही जानना है तो उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो। कोई समाज कितना मजबूत हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि स्त्रियाँ किसी भी समाज की आधी आबादी हैं। बिना इन्हें साथ लिए कोई भी समाज अपनी संपूर्णता में बेहतर नहीं कर सकता है। समाज की आदिम संरचना से सत्ता की लालसा ने शोषण को जन्म दिया है। स्त्रियों को दोगम दर्जे के रूप में देखने की कवायद इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

भारत में डिजिटल क्रांति ने महिलाओं के लिए नए अवसर खोले हैं। "डिजिटल इंडिया" पहल ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच को बढ़ाया है, जिससे महिलाओं को ऑनलाइन शिक्षा, ई-कॉमर्स और डिजिटलउद्यमिता में भाग लेने का मौका मिला है। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाएँ अपने उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (जैसे अमेज़नसार्थी) पर बेच रही हैं।

"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान और "सर्व शिक्षा अभियान" जैसे प्रयासों ने लड़कियों की शिक्षा दर में सुधार किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने लैंगिक समावेशिता पर जोर दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, "प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना" ने गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिससे मातृ मृत्यु दर में कमी आई है।

भारत में सूक्ष्म-वित्त संस्थानों और स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत 2023 तक देश भर में 8 मिलियन से अधिक SHGs कार्यरत हैं, जिनमें 70 मिलियन से अधिक महिलाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, "मुद्रा योजना" ने महिला उद्यमियों को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया है।

पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 33% (कई राज्यों में 50%) आरक्षण ने स्थानीय स्तर पर उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। 2023 तक, भारत में 1.4 मिलियन से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि पंचायतों में कार्यरत हैं।

## भारत में महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति

### शिक्षा

शिक्षा महिला सशक्तिकरण का मूल आधार है। भारत में महिला साक्षरता दर में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असमानता बनी हुई है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया है। यह योजना बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई। इसके परिणामस्वरूप, जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है, और माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात (GER) 75.51% से बढ़कर 78% हो गया है।

### आर्थिक स्वतंत्रता

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया। हालांकि, महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी अभी भी कम है। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत, महिला SHG की स्थापना की गई है, जो आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

### राजनीतिक भागीदारी

पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है, जिससे स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी बढ़ी है। यद्यपि भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है, लेकिन संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। महिला आरक्षण विधेयक अभी तक पारित नहीं हो पाया है।

### सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक बाधाएं

पितृसत्तात्मक समाज और लैंगिक भेदभाव महिलाओं के सशक्तिकरण में बड़ी बाधाएं हैं। दहेज प्रथा, बाल विवाह और घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं।

### कानूनी ढांचा

भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम और यौन उत्पीड़न अधिनियम। हालांकि, इन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी एक चुनौती है।

### प्रमुख चुनौतियाँ

**लैंगिक हिंसा और असुरक्षा:** भारत में लैंगिक हिंसा एक गंभीर समस्या है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) 2022 के अनुसार, देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है, जिसमें बलात्कार, घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न प्रमुख हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (POSH अधिनियम के बावजूद) भी एक बड़ी चुनौती है।

**शिक्षा और स्वास्थ्य में असमानता:** हालाँकि शिक्षा में प्रगति हुई है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। NFHS-5 (2019-21) के अनुसार, 15-19 आयु वर्ग की 23% लड़कियाँ स्कूल से बाहर हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कुपोषण और एनीमिया भारतीय महिलाओं के बीच व्यापक हैं—NFHS-5 के अनुसार, 57% महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित हैं।

**आर्थिक असमानता:** भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) वैश्विक औसत से कम है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, 2022 में भारत में यह दर मात्र 19% थी, जबकि पुरुषों के लिए यह 76% थी। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहना पड़ता है।

**सांस्कृतिक और सामाजिक रूढ़ियाँ:** पितृसत्तात्मक मानसिकता और पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएँ महिलाओं को नेतृत्व और स्वतंत्रता से दूर रखती हैं। बाल विवाह अभी भी ग्रामीण भारत में एक समस्या है—NFHS-5 के अनुसार, 23% महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है।

### विक्षेपण और समाधान

**डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास:** ग्रामीण महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। "डिजिटल सखी" जैसे मॉडल, जो बिहार और झारखंड में सफल रहे हैं, को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सकता है। तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर महिलाओं को ई-कॉमर्स और डेटा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा सकता है।

**नीतिगत सुधार:** महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने हेतु POSH अधिनियम का कड़ाई से पालन और जागरूकता आवश्यक है। "महिला हेल्पलाइन" और "वन स्टॉप सेंटर" जैसी योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। समान वेतन और मातृत्व लाभ को अनिवार्य करने वाला कानून लागू करना भी जरूरी है।

**शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान:** लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए मासिक धर्म स्वच्छता और मुफ्त सैनिटरी पैड वितरण जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। स्वास्थ्य क्षेत्र में, "आयुष्मान भारत" योजना के तहत महिलाओं के लिए विशेष प्रजनन स्वास्थ्य पैकेज शुरू किए जा सकते हैं।

**सामाजिक जागरूकता:** लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने के लिए सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। "महिला शक्ति केंद्र" जैसे मंचों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सकता है।

### निष्कर्ष

21वीं सदी में भारत के पास महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अभूतपूर्व अवसर हैं, जैसे तकनीकी प्रगति, नीतिगत ढांचा और सामाजिक जागरूकता। फिर भी, लैंगिक हिंसा, आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक बाधाएँ इस प्रगति में रुकावटें हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र को एकजुट होकर कार्य करना होगा। महिला सशक्तिकरण न केवल महिलाओं के लिए, बल्कि भारत के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह एक समावेशी और समृद्ध भारत की नींव रख सकता है।

### संदर्भ

1. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्डब्यूरो (NCRB), "क्राइम इन इंडिया 2022"।
2. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), 2019-21।

3. विश्व बैंक (2023), "भारत में महिला श्रम भागीदारी"।
4. भारत सरकार, "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रिपोर्ट 2023"।
5. यूएनवीमेन, "भारत में लैंगिक समानता: प्रगति और चुनौतियाँ"।